

आदेश

कार्यवाही विवरण

अ  
क्रम

शुक्रवादि

पंजावली पेंडा दुई वरील वादी व वादी  
 उपस्थित नही होना से वार-बार-रक्त  
 रक्त पर आपाज लागवई गई परंतु  
 वरील वादी व वादी उपस्थित न्यायालय  
 नही होना से इनका बाद वादी ठादम  
 पेंडी लंबा ठादम वादी से खारिजी  
 जाता है पंजावली केंद्राल सुमार होकर  
 दर्ज नम्बर से कम हो गया बाद लक्ष्मी  
 कार्यावाही जाया वाखिल कपट्टर ही निर्णय  
 खुल्ले न्यायालय से सुनाया गया।

20/09  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बबनपुर